इंदौर में खुलेगी साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब, शातिर आरोपियों पर लगेगी लगाम

डैमेज उपकरणों का हो सकेगा इस लैब में 'पोस्टमार्टम'

पीपुल्स स्पेशल

जफर खान जफर ◆ इंदौर
मो.नं. 9926033955

प्रदेश में हाईटेक तकीनीक से हो रहे साइबर अपराधों के मामले में जटिल विवेचना के लिए रेडियो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल इंदौर में पांच करोड़ की साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब जल्दी ही बनेगी। साइबर अपराध के दौरान शातिर आरोपियों द्वारा डैमेज कर दिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का 'पोस्टमार्टम' इस लैब में हो सकेगा। अभी पुलिस को अन्य राज्यों जैसे आंध्रप्रदेश व गुजरात स्थित स्थित फोरेंसिक लैब के भरोसे रहना पड़ता है।

अधिकृत सूत्रों के अनुसार पुलिसकर्मियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दे रहे इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) द्वारा कुछ समय पहले यहां आयबर क्राइम फोरेंसिक लैब का प्रस्ताव कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम ऑफ इंडिया (सर्टइन) को भेजा गया था। लगभग पांच करोड़ की लागत वाली इस प्रयोगशाला के लिए सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन फंडिंग को लेकर प्रक्रिया चल रही है। पी आरटी एस के निदेशक आईजी वरुण कपूर ने 'पीपुल्स समाचार' को जानकारी दी कि साइबर अपराधों के दौरान आरोपियों द्वारा डेमेज कर दिए गए उपकरणों जैसे लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल सिम आदि की विवेचना यानी कि सर्जरी या 'पोस्टमार्टम' इस लैब में हो सकेगा। ये लैब प्रदेश में पहली होगी। अभी सायबर मामलों में उपकरणों को जांच के लिए अन्य राज्यों में स्थित जैसे हैदराबाद या अहमदाबाद की फोरेंसिक लैब में भेजना पड़ता है। यह लैब न केवल पुलिस को प्रशिक्षित करने के काम आएगी बल्कि साइबर एक्सपर्ट के जरिए जटिल साइबर उपकरणों की विवेचना करेगी और अपराधियों के खिलाफ सबूत एकत्रित करेगी।

मामलों की विवेचना में समय की बचत होगी

आईजी कपूर ने कहा कि साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब इसी वर्ष मे शुरू होने की उम्मीद है। इस लैब के बनने से मप्र पुलिस के लिए साइबर अपराधों की विवेचना में लगने वाले समय की बचत हो सकेगी और विवेचना अच्छे से हो सकेगी। फिलहाल पुलिस के समक्ष दिक्कत ये है कि साइबर प्रकरणो मे मोबाइल सिम, लैपटॉप, हार्ड डिस्क जब्त तो कर लिए जाते हैं लेकिन इन उपकरणो के साथ छेड़छाड़ या तोड़ दिए जाने से डाटा रिकवर होने मे परेशानी आती है। तब अन्य राज्यो की लैब की मदद लेनी पड़ती है। गौरतलब है कि पीआरटीएस द्वारा प्रदेश भर के 51 जिलो में गत ढाई वर्ष के दौरान दर्ज हुए सायबर प्रकरणो की जानकारी एकत्र कर समीक्षा की जा रही है।